(घ) बिक्री बढ़ाकर बिक्री खर्च अनुपात में कमी करने और अधिकतम सम्भव सीमा तक प्रशासनिक तथा अन्य खर्चे अर्थात् स्टाफ, विज्ञापन, लेखन सामग्री, पैक करने की सामग्री आदि पर खर्च में कमी करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। सुपर बाजार की प्रबन्ध समिति ने डा० पी० एस० लोकनाथन की अध्यक्षता में एक उपसमिति स्थापित की है। यह उपसमिति भण्डार के कार्य-चालन की जांच करेगी और उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देगी। समिति की रिपोर्ट अगस्त, 1967 तक प्राप्त होने की सम्भावना है।

केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न की सहायता

*155. श्री मोहन स्वरूप :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० कु० किस्कू :
श्री श० न० मैती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री काशीनाथ पाण्डेय :
श्री न० कु० सांघी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि वह मिर्जापुर तथा अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सप्लाई करने के लिये राज्य के लिये और अधिक खाद्यान्न उपलब्ध करे;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिंदे) (क) और (ख). फरवरी, मार्च और अप्रैल, 1967 का उत्तर प्रदेश का मासिक कोटा 1,25,000 मीटरी टन था और उन्हें निम्नलिखित मात्राएं भेजी गयी थी :—

फरवरी, 1967	95,000 मीटरी टन
मार्च, 1967	1,45,000 मीटरी टन
अप्रैल, 1967	1,12,600 मीटरी टन

रबी की फसल अच्छी होने से यह कोटा कम करके मई 1967 मास के लिए 1,10,000 मीटरी टन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के खाद्य मन्त्री हाल ही में केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्री से मिले थे और यह अनुरोध किया कि कोटे की मात्रा में कुछ वृद्धि की जाए अथवा कम से कम पूर्ववत स्तर अर्थात 1,25,000 मीटरी टन ही रहने दिया जाए। भारत सरकार के पास खाद्यान्नों की उपलब्ध मात्रा और अन्य कमी वाले राज्यों की न्यूनतम मांगें पूरी करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश के खाद्य मन्त्री की प्रार्थना पर विचार किया जाएगा।

(ग) उत्तर प्रदेश को मुफ्त बांटने के लिए 8,000 मीटरी टन उपहार गेहूं का आबंटन किया गया है। इस मात्रा में से 1,000 मीटरी टन की मात्रा राज्य सरकार को इस सुझाव के साथ दी गयी थी कि इस मात्रा का प्रयोग पूर्णतया मिरजापुर जिले में किया जाए। बच्चों

और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं के लाभ के लिए मुफ्त फीडिंग कार्यक्रमों हेतु राज्य को 3,444 मीटरी टन उपहार दुग्ध-चूर्ण का आवंटन किया गया है। 70 मीटरी टन बिस्कुट और 12 मीटरी टन सूखी किश-मिश का आवंटन किया गया है।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय ने कमी की स्थिति से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को रोकने अथवा उनका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन की गोलियां, बेबी खाद्य, दवाइयां आदि भी अलाट की हैं।

372 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की पीने के पानी की योजनाएं मंजूर की गयी हैं। यूनिसेफ ने कुएं खोदने के लिए 4 रिग भी दान रूप में दिए हैं। वित्त मन्त्रालय ने सहायता कार्यों के लिए 90 लाख रुपये का एक ऋण मंजूर किया है। खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय ने उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां तथा बीजों जैसे इनपुट खरीदनेके लिए 628.52 लाख रुपये का अल्पकालीन ऋण स्वीकार किया है।

कुछेक स्वैच्छिक संगठन राज्य में मुफ्त भण्डारे चला रहे हैं। उनकी मदद करने के लिए अब तक उन्हें लगभग 281 मीटरी टन गेहूं इक्नामिक कीमत पर दी गयी है। प्रधान मन्त्री सूखा सहायता निधि से उत्तर प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों को मुफ्त भण्डारे चलाने के के लिए अब तक 651 मीटरी टन गेहूं दी गयी है। खाद्य विभाग ने सेना से 6 जीपें और 4 ट्रक खरीदे हैं और वे उत्तर प्रदेश सूखा सहायता समिति को चलाने के लिए दिए गए हैं। राजकृष्ण मिशन को एक जीप दी गयी है और उन्हें एक और जीप दी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को विदेशों से सहायता कार्यों के लिये उपहार रूप में प्राप्त ट्रकों में से 10 ट्रक आवंटित किये गये हैं।

Declaration of Famine in Bihar

*156. **Shri K. Anirudhan:**
Shri Vishwanatha Menon:
Shri K. M. Abraham:
Shrimati Suseela Gopalan:
Shri Umanath:
Shri P. P. Esthose:
Shri Madhu Limaye:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri S. M. Banerjee:
Shri George Fernandes:
Shri Yashpal Singh:
Shri S. C. Samanta:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government were not in favour of some Districts of Bihar being declared as famine areas by the State Government; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). The declaration of any area in the State as famine area is entirely within the competence of the State Governments and it is not necessary for them to consult the Government of India before the issue of declaration of this type. The Bihar Government, however, consulted the Govt. of India informally in the matter and were advised that everything possible was being done both by the State and Central Governments to relieve distress and that there was little advantage in declaring famine at that stage. They were also told that on the other hand, there was danger that such a declaration might create a psychology of greater scarcity, might lead to a rise in the prices of foodgrains in the open market and might send the foodgrains underground.

Election Petitions

*157. **Shri S. R. Damani:**
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri Sridhakar Supakar:
Shri Chintamani Panigrahi:
Shri Sharda Nand:
Shri Bharat Singh Chauhan:
Shri Ranjit Singh:
Shri Yashpal Singh: